सं. 19024/1/2012-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

******

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 05 सितम्बर, 2014

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय: सरकारी खाते में बुक की गई हवाई टिकटों पर अधिकृत ट्रेवल एजेंटों द्वारा लगाए गए 'सुविधा शुल्क' को वापस लिए जाने के संबंध में।**

इस विभाग के 10 अक्तूबर, 2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अधिकृत ट्रेवल एजेंटों, अर्थात् मैसर्स बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), अशोक ट्रेवल्स एवं टूअर्स (एटीटी) और इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लि. (आईआरसीटीसी) को हवाई यात्रा के लिए जहां हवाई यात्रा की लागत भारत सरकार वहन करती है, घरेलू क्षेत्र में 100/- रुपए प्रति टिकट की दर से और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 300/- रुपए प्रति टिकट की दर से **'सुविधा शुल्क'** लगाने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. समय-समय पर यथा-संशोधित वायुयान नियमावली, 1937 के प्रावधानों के आलोक में, नागर विमानन मंत्रालय और विधि कार्य विभाग के परामर्श से इस मामले पर पुन: विचार किया गया है और इस विभाग के 10 अक्तूबर, 2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है । परिणामस्वरूप, कोई भी फीस/सेवा प्रभारों का (नाम कुछ भी हो) जो एयर इंडिया/एयरलाइंस द्वारा प्रभारित 'भाड़े' में शामिल नहीं हैं, अधिकृत ट्रेवल एजेंटों को भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. पहले की जा चुकी अथवा की जाने वाली हवाई यात्रा के संबंध में आज तक प्राप्त की गई/खरीदी गई हवाई टिकटों के लिए अधिकृत एजेंटों द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान, दिनांक 10.10.2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विनियमित किया जाएगा। यह पुन: दोहराया जाता है कि जहां तक संभव हो, सरकारी खाते में हवाई टिकटें एयर इंडिया/एयरलाइंस (बुकिंग काउन्टर/कार्यालय/बेवसाइट) से सीधे प्राप्त की जाएं और अधिकृत ट्रेवल एजेंटों की सेवाएं तभी ली जाएं जब एयर इंडिया/एयरलाइंस से सीधे टिकट प्राप्त कर पाना संभव न हो।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया जाता है कि इन अनुदेशों को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

सुभाष चन्द

**(सुभाष चन्द)**

**निदेशक**

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और अन्य सरकारी कार्यालय (मानक डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: एनआईसी को व्यय विभाग की बेवसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के लिए।